4/9/16 P.O. By mine

संख्या– 198 / XXX(2) / 2016

IT. update 1/12/2017

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 08 अगस्त, 2016

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत् अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को संसूचित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देव दत्त बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, सुखदेव सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा प्रभु दयाल खण्डेलवाल बनाम अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य में यह निर्णय पारित किया गया है कि प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को सभी प्रकार की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ यथा उत्कृष्ठ, अतिउत्तम, उत्तम, संतोषजनक, अच्छा तथा प्रतिकूल प्रविष्टियाँ संसूचित की जायेगी और उसके विरूद्ध संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों से प्रत्यावेदन प्राप्त करके उसका निस्तारण किया जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के आलोक में ही शासन द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा / सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 दिनांक 28.04.2015 को निर्गत की गयी है जिसके अनुसार प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को उसकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ संसूचित किये जाने, उसे विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के संबंध में व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त नियमावली के प्रख्यापित होने के बाद भी विभागों द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गों में अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को संसूचित नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पदोन्नति बाधित होने पर कतिपय अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दायर की गयी हैं। शासन द्वारा नियमावली प्रख्यापित किये जाने के बाद प्रत्येक विभागों का यह दायित्व है कि प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को निर्धारित समय में संसूचित कर दिया जाये।

क्रमश.......................2

3— अतः इस संबंध में यह निवेदन है कि कृपया कार्मिक विभाग द्वारा नि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृ वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामल का निपटारा) नियमावली, 2015 में किये गये प्राविधान के अनुसार अपने नियन्त्रणाधीन विभागों के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि उक्त नियमावली में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत संसूचित करते हुये उनसे प्रत्यावेदन प्राप्त करके निर्धारित समय के अन्तर्गत उक्त नियमावली में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां संसूचित न होने और प्रत्यावेदन का अवसर प्राप्त न होने के कारण पदोन्नति से वंचित न होना पड़े।

4— कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः /XXX(2)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

क्रम संख्या–79

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 28 अप्रैल, 2015 ई0
बैशाख 08, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 155/XXX(2)/2015–30(39) 2014
देहरादून, 28 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–46

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यवादेन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002 को अधिक्रमित करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ट वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा), नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना

1\. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ट वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह समस्त प्रकार के सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2\. यह नियमावली, किन्ही अन्य नियमों या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें

3\. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, पद–

(क) "समुचित प्राधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सरकार द्वारा यथास्थिति प्रतिवेदक प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त हो;

(ख) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "सरकारी सेवक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन किसी पद से भिन्न संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर कार्य कर रहा हो;

(ङ) "रिपोर्ट" से किसी सरकारी सेवक के कार्य, आचरण और सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में किसी समुचित प्राधिकारी, जिसने उस सरकारी सेवक का काम निरन्तर तीन मास से अन्यून अवधि तक देखा हो, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये अभिलिखित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(च) "सचिवालय" से सरकार का सचिवालय अभिप्रेत है;

(छ) "वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

प्रतिकूल अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ रिपोर्ट की संसूचना और प्रत्यावेदन के निपटाने के लिये प्रक्रिया

4\. (1) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट अन्तिम होने के पश्चात् पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक या अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ हो, जिसे आगे रिपोर्ट कहा गया है, तो सम्बंधित सरकारी कर्मचारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा जो प्रतिवेदक/प्राधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो और स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट हो, रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 60 दिन की अवधि के भीतर संपूर्ण रिपोर्ट लिखित रूप में संसूचित की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण–पत्र रिपोर्ट में अभिलिखित किया जायेगा।

(2) सरकारी कर्मचारी, उपनियम (1) के अधीन प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर, इस प्रकार संसूचित रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को ही कर सकता है।

(3) सरकारी कर्मचारी यदि उपनियम (1) के अधीन संसूचित पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक या अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन देना चाहता है, तो वह ऐसी रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर इस प्रकार संसूचित रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से स्वीकृता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो, तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को कर सकता है–

परन्तु यदि यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि सरकारी सेवक के पास उक्त अवधि के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं तो ऐसे प्रत्यावेदन की प्रस्तुति के लिये 45 दिन की अग्रेतर अवधि की अनुमति दे सकता है।

(4) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (2) तथा (3) के अधीन प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यावेदन को समुचित प्राधिकारी को, जिसने प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट अभिलिखित

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी टीका–टिप्पणी अपेक्षित नहीं होगी, यदि समुचित प्राधिकारी अपनी टीका–टिप्पणी भेजने से पहले सेवा में न रह गया हो या सेवानिवृत्त हो गया हो, या निलम्बनाधीन हो।

(5) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट 45 दिन की समाप्ति के दिनांक से 120 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीका–टिप्पणी के साथ प्रत्यावेदन पर विचार करेगा और यदि कोई टिका–टिप्पणी प्राप्त न हुई हो तो टीका–टिप्पणी की प्रतीक्षा किये बिना–

(क) प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुये; या

(ख) प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः जैसा वह उचित समझे निकालते हुये सकारण आदेश पारित करेगा।

(ग) अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट को जैसा कि उचित समझे सकारण आदेश पारित करते हुय उन्नत (upgrade) करेगा।

(6) जहां सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी प्रशासनिक कारण से प्रत्यावेदन का निपटारा करने में असमर्थ हों, तो वह इस सम्बन्ध में अपने उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावेदन के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिये ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

(7) उपनियम (5) के अधीन पारित आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को लिखित रूप में संसूचित किया जायेगा।

(8) जहां उपनियम (5) के अधीन प्रतिकूल प्रविष्टि निकालने का आदेश पारित किया जाये, वहां यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार निकाली गयी प्रविष्टि को विलुप्त कर देगा।

(9) जहां उपनियम (5) के अधीन अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम प्रविष्टि को निकालकर उन्नत (upgrade) करने का आदेश पारित किया जाये, वहां यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी ऐसी प्रविष्टि को विलुप्त करके उन्नत (upgrade) की गई प्रविष्टि को रखेगा।

(10) उपनियम (5) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा।

(एक) किसी प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ट प्रविष्टि की संसूचना:

(दो) किसी प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन:

(तीन) समुचित प्राधिकारी को उसकी टीका-टिप्पणी के लिये प्रत्यावेदन भेजे जाने:

(चार) समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी: या

(पांच) किसी प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन के निपटारे का कोई मामला इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित हो वहां ऐसे मामलों पर इस नियम के अधीन उनके लिये विहित अवधि के भीतर विचार किया जायेगा और उसका निपटारा किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम में विनिर्दिष्ट किसी मामले के लिये इस नियम के अधीन विहित अवधि की संगणना करने में इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को व्यतीत हो चुकी अवधि की गणना नहीं की जायेगी।

रिपोर्ट का प्रतिकूल न समझा जाना

5. वित्त हस्तपुस्तिका के खण्ड दो के भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश मूल नियम-56 में यथा उपबन्धित के सिवाय जहां कोई प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित नहीं की जाती है या जहां किसी प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन नियम-4 के अनुसार नहीं निपटाया गया है वहां ऐसी प्रविष्टि को, सम्बन्धित सरकारी सेवक की पदोन्नति, और अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों के प्रयोजनार्थ प्रतिकूल नहीं समझा जायेगा।

अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट का उन्नत (upgrade) होने पर प्रभाव

6. जहां अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर विचार करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रविष्टि को उन्नत (upgrade) करने के आदेश पारित करते है, तो वहां, यदि सम्बन्धित कार्मिक ऐसी प्रविष्टि के कारण पदोन्नति के समय अनुपयुक्त हुआ है या अन्य सेवा संबंधी लाभ से वंचित हुआ हो, तो प्रविष्टियां उन्नत (upgrade) करने के पश्चात् उसकी पदोन्नति तथा अन्य सेवा संबंधी लाभ के संबंध में पुनः विचार किया जायेगा तथा "उपयुक्त" पाये जाने की स्थिति में उसे कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति या सेवा संबंधी लाभ दिये जायेंगे।

श्रेणी परिवर्तन के कारणों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सव्यक्त आदेश (Speaking Order) जारी

रजिस्टर का रख–रखाव

7. यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में, जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, एक रजिस्टर रखेगा और उसमें समुचित प्रविष्टियां करेगा।

शास्ति

8. (1) जहां सम्बन्धित सरकारी सेवक को किसी प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ प्रविष्टि को संसूचित करने के लिये विधिक रूप से बाध्य कोई अधिकारी या इस नियमावली के अधीन किसी प्रविष्टि के विरूद्ध किसी प्रत्यावेदन को निपटाने में विधिक रूप से सक्षम कोई अधिकारी, उसके लिये विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में जानबूझकर विफल रहता है, वहां वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

(2) सचिवालय का अनुभाग अधिकारी और सचिवालय से भिन्न किसी कार्यालय का कोई प्रभारी अधिकारी या पदधारी प्रत्यावेदन को, उस पर समुचित प्राधिकारी की टीका–टिप्पणी और अन्य सुसंगत अभिलेखों को, यदि कोई हो, उनकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात्, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। इस निमित्त, उसकी तरफ से जानबूझकर किया गया कोई व्यक्तिक्रम कदाचार होगा और वह उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

व्यावृत्ति

9. नियम 4 के उपनियम (11) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व की गयी कोई कार्यवाही या किया गया कोई कृत्य इस नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गयी कार्यवाही या किया गया कृत्य समझा जायेगा।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

प्रमुख सचिव।